

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 41 के तहत स्वतः प्रकटन

संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

संस्था का नाम	- शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी, ज़िला दुर्ग (छ. ग.)
डाक का पता	- तहसील धमधा, ज़िला दुर्ग
ई मेल	- govtcollegebori@gmail.com
वेबसाइट	- www.govtcollegebori.com
फोन नंबर	- 9109698296
प्राचार्य का नाम	- डॉ आनंद कुमार विश्वकर्मा
कार्य/ सेवाएं	- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 2566/ एफ 3-65/ 2011/ 38 - 1 रायपुर, दिनांक 05. 07. 2012 द्वारा महाविद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य की कक्षाएं प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गयी। महाविद्यालय को हेमचंद विश्व हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से बी. ए., बी. कॉम. तथा बी. एस.सी. (बायो) में स्थाई एवं बी. एस.सी. (गणित), एम. कॉम. तथा एम. ए. (समाजशास्त्र) में अस्थायी संबद्धता प्राप्त है। महाविद्यालय कार्यों का निर्वहन उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/ निर्देश के अनुसार करता है। इस ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उनमें ऐसे कौशल विकसित करना जो इस क्षेत्र के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार ला सकें। विद्यार्थियों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना कि वह अपने भीतर छुपी प्रतिभा को पहचान सकें और उसका उपयोग कर स्वयं और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन निष्पक्ष रूप से कर सकें एवं वे अपनी जान एवं कौशल से स्वयं को आज की दुनिया से जोड़ सकें।
कर्तव्य	- सीट विषय
संकाय एवं विषय	-
संकाय	सीट विषय
कला संकाय	120 आधार पाठ्यक्रम (हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन), भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र
वाणिज्य संकाय	100 आधार पाठ्यक्रम (हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन) एवं सभी अनिवार्य विषय
विज्ञान संकाय	-
बीएससी (बायो)	60 आधार पाठ्यक्रम (हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन), रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र
बीएससी (गणित)	60 आधार पाठ्यक्रम (हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन), रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित
कार्यालय का समय	- प्रातः: 10:30 से 5:30 तक
अवकाश	- महाविद्यालय रविवार एवं छ.ग. शासन द्वारा घोषित अवकाश दिवस में बंद रहेगा।

घोषणा

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिक, विद्यार्थी एवं छात्र महाविद्यालय की गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जन सूचना अधिकारी शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी जिला दुर्ग के नाम से निर्धारित शुल्क ₹10 के साथ लिखित आवेदन करना होगा। आवेदन में सूचना प्राप्त करने का कारण उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। आवेदन पत्र में आवेदक का पूर्ण व्यौरा जैसे नाम, पता, फोन नंबर, सूचना का प्रकार एवं पूर्ण हस्ताक्षर होना चाहिए। पत्रों की छाया प्रति का भुगतान राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्धारित के अनुसार आवेदक को करना होगा।

अपीलीय अधिकारी - अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग

सूचना अधिकारी - प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी


Principal
Govt. Neveen College Bori
Dist. Durg (C.G.)